

प.सं. / घासा / प.पत्र /

ग्राम या कार्यवाही नाम इतिहासिका पत्र

नाम व प्राचीन
अहकाम जो इस
ग्राम की तालीक
में जारी हुए

18/3/36

किसी भी नए अधिकांक उत्पन्न या उपस्थित है। आज का
सर्वप्रथम अधिकांक उत्पन्न अधिकांक बाहर जो नै तासीक (पृष्ठ 2)
इस ग्राम में उत्पन्न है। अधिकांकण कालोत्पन्न पर है। आ
इसके तासीक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट 1/3/36 को पेश है।

1/3/36

किसी भी नए अधिकांक उत्पन्न या उपस्थित है। आज का
सर्वप्रथम अधिकांक उत्पन्न अधिकांक बाहर जो नै तासीक (पृष्ठ 2)
इस ग्राम में उत्पन्न है। अधिकांकण कालोत्पन्न पर है। आ
इसके तासीक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट 1/3/36 को पेश है।

22/3/36

पत्रावली पेश हुई। पेशेकार सरकार ने उपस्थित होकर अंकित किया कि
तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि जोत में कितने हिस्से पर
किस प्रकार का अकृषि कार्य किया गया उक्त अकृषि कार्य हेतु स्वाधी रूप से
निर्माण कर अकृषि कार्य किया गया अथवा अस्वाधी निर्माण किया गया है।
साथ ही उक्त निर्माण कितने भूभाग पर व किस प्रकृति का है के सम्बन्ध में
नाथ बोक व अन्य विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है ना ही
प्राचीं द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीयण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने
से पूर्व कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर किन नियमों के तहत क्या
कार्यवाही की गई का विवरण अथवा दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, ना
ही तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व भू-स्वामी की
हैसियत से कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न किया गया है अपूर्ण कार्यवाही
के मध्यमजर न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अन्तिम निर्णय पारित किया
जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्राचीं (तहसीलदार
तालेडा) द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राजस्वार्ज काश्तकारी
अधिनियम 1955 अपूर्ण दस्तावेज एवं स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में अस्वीकार
कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि
नियमानुसार स्वयं के स्तर की वांछनीय कार्यवाही की जाकर पूर्ण दस्तावेजों व
स्पष्ट रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जावे। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तालीक तकनीक नियमानुसार
दाखिल दफ्तर हो।

44